इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 25, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-78-2014-1-पांच (62).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की अनुसूची-2 के संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त उपधारा के परन्तुक द्वारा की गई अपेक्षा अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से **एक दिवस** के अवसान होने के पश्चात् विचार किया जाएगा,

किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में, भाग-तीन क में,—

(एक) अनुक्रमांक 1 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक "23" के स्थान पर, अंक "27" स्थापित किया जाए;

(दो) अनुक्रमांक 2 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक "27" के स्थान पर, अंक "31" स्थापित किया जाए;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-78-2014-1-पांच (62).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्र. एफ-ए-3-78-2014-1-पांच (62), दिनांक 16 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 16th December 2014

No. F-A-3-78-2014-1-V (62).—The following draft amendment in the Schedule II to Madhya Pradesh Vat Act, 2002, which the State Government proposes to make in exercise of the powers coneffed by sub-section (1) of the section 70-A of the madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), is published as required by the said sub-section, for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of **one day** from the date of publication of the notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft befroe the date specified above, shall be considered by the State Government—

DRAFT AMENDMENT

In Schedule II to the said Act, in Part-III-A,—

(i) against serial number 1, in column (3), for the figure "23", the figure "27" shall be substituted;

(ii) against serial number 2, in column (3), for the figure "27", the figure "31" shall be substituted;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.